राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: rajssa.training@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीसीई/उपचारात्मक शिक्षण/2020–21/ 14097 दिनांक : 24/8/2020

कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं (Remedial Teaching) के संचालन हेतु दिशा–निर्देश : सत्र 2020–21

कक्षा 9 के न्यून दक्षता वाले विद्यार्थियों को अपेक्षित कक्षा स्तर तक लाने के लिए विषयवार उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता रहा है। PAB 2020–21 अनुमोदन अनुसार कक्षा 9 में अध्ययनरत 204399 विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता अभिवृद्धि हेतु गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय की उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) कक्षाएं आयोजित की जानी है। इन उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं के आयोजन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

(A) लक्षित समूह :–

वर्तमान परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ कक्षा–कक्षीय शिक्षण कार्य लम्बे समय तक बाधित रहा है। अतः विद्यालयों के खुलने पर विद्यार्थी के साथ शिक्षण की शुरूआत करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी के स्तर का यथासंभव सही आंकलन होना आवश्यक है।

- शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के स्तर निर्धारण हेतु आवश्यक रूप से विद्यालय खुलने पर प्रथम सप्ताह में विद्यार्थियों का आधार रेखा आंकलन किया जायेगा।
- शिक्षक द्वारा कक्षा 8 की आधारभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार कर विद्यार्थियों का आधार रेखा आंकलन किया जायेगा।
- आधार रेखा आंकलन के प्राप्तांको का 70 प्रतिशत तथा गत सत्र में आयोजित अर्द्ध वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांको का 30 प्रतिशत महत्त्व (भार) लिया जाकर छात्र का स्तर निर्धारण करेंगे।
- वर्ष 2020–21 में कक्षा 9 में कुल नामांकित विद्यार्थियों के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को न्यून प्रतिशत से अधिक प्रतिशत की ओर उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना हैं।

(B) उपचारात्मक शिक्षण कक्षा संचालन :–

कक्षा 9 के चयनित विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों में आवश्यकतानुसार उपचारात्मक शिक्षण कराया जाना है। विषयाध्यापक (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान) द्वारा अपने विषय के उपचारात्मक शिक्षण हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जायें –

- अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों के शिक्षण हेतु कक्षा 9 के अध्यायों में से उन अध्यायों का चयन किया जाये, जो कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु से संबंधित है।
- आधार रेखा आंकलन के आधार पर विद्यार्थी के विषय वस्तु के ज्ञान स्तर अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की कार्ययोजना बनाई जाये।
- उपचारात्मक शिक्षण योजना पाक्षिक बनाये।
- उपचारात्मक शिक्षण 60 दिवस तक कराया जायेगा।

- विषयवार चयनित अध्यायों का उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं अभ्यास हेतु उपचारात्मक शिक्षण सामग्री (कार्यपुस्तिका) का उपयोग किया जायेगा, ताकि कक्षा 9 के पाठ को पढ़ते समय विधार्थी सरलता से नवीन ज्ञान से जुड़ सकें।
- रेमेडियल कक्षाओं के संचालन हेतु पृथक से चयनित छात्रों की बैठक व्यवस्था, उनका उपस्थिति रजिस्टर एवं शिक्षण योजना रजिस्टर संधारित किया जाये।
- जिन छात्रों की उपस्थिति रेमेडियल कक्षाओं में 50 प्रतिशत से न्यून है, उन्हें सूचीबद्व कर संबंधित छात्रों एवं उनके अभिभावकों से सम्पर्क कर नियमित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- यथा संभव उपलब्धता के आधार पर टीएलएम, विज्ञान एवं गणित किट का प्रयोग किया जाये जिससे सीखना सरल एवं रोचक होगा।
- जिन विद्यालयों में विषयाध्यापक नहीं है वहां विषय के बी.एड. इन्टर्न शिक्षक के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाये।
- विद्यालय समय के पूर्व या पश्चात् की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एकान्तर क्रम में विषय का शिक्षण कराया जायेगा, जिसकी अवधि 40 से 50 मिनट होगी।

(C) **क्रियान्वयन एवं रिकार्ड संधारण :–**

- उपचारात्मक कक्षाओं हेतु संस्था प्रधान की देख रेख में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं प्रस्तावित कार्य योजना अनुरूप शिक्षण योजना की समयबद्ध प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाये।
- उपचारात्मक कक्षाओं हेतु शिक्षक द्वारा पृथक से पाठ योजना अनुरूप तैयारी की जाये व शिक्षण को गतिविधि आधारित एवं Practical द्वारा सरल बनाया जाये।
- उपचारात्मक शिक्षण के लिये चयनित विषयों हेतु शिक्षण योजना में पाक्षिक टैस्ट/आकलन आयोजित किये जाये और उपलब्धि स्तर का रिकॉर्ड संधारित किया जाये।
- उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं के संदर्भ में विशिष्ट अवलोकन पंजिका संधारित की जाये, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी/एडीपीसी/अन्य आगन्तुक अधिकारी/संस्थाप्रधान द्वारा उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था पर टिप्पणी अंकित की जाये।
- उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं की सम्पूर्ण प्रगति का आंकलन रेमेडियल कक्षाओं के समापन पर शिक्षक द्वारा अंतिम रेखा आंकलन (एण्डलाइन)/टैस्ट के परिणामों के आधार पर किया जायेगा।
- सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के अभिलेखों (रिकॉर्ड) का प्रतिदिन संधारण किया जाये। इस अभिलेख में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, साप्ताहिक पाठ–योजना, सम्पूर्ण शिक्षण योजना, आंकलन पत्रक, अभ्यास पत्रक प्रगति टैस्ट–पेपर, विद्यार्थियों की उपलब्धि आदि होंगी।
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जायेगा।
- GF&AR के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विद्यालय उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे एवं ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित कर ब्लॉक उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- जिला एडीपीसी कार्यालय जिले का उपयोगिता प्रमाण पत्र GF&AR के अनुसार निर्धारित प्रारूप में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

- राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देश, MHRD की गाइडलाइन एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(D) उपचारात्मक शिक्षण हेतु संदर्भ सामग्री (कार्यपुस्तिका) –

कक्षा 9 में कक्षा स्तर से न्यून शैक्षणिक स्तर के विद्यार्थियों का स्तर उन्नयन हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर द्वारा शिक्षकों की सहायता के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय की कार्यपुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी।

(E) मॉनिटरिंग –

- उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं की मॉनिटरिंग हेतु सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा की होगी।
- समय–समय पर संस्था प्रधान उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं का अवलोकन करें एवं अवलोकन पंजिका में शिक्षण व्यवस्था की वस्तु–स्थिति पर टिप्पणी अंकित की जाये।
- जिला स्तर से जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी अभियान चलाकर उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं की मॉनिटरिंग करें एवं अवलोकन पंजिका में टिप्पणी अंकित करें।
- विद्यालय अवलोकन के लिए जाने वाले अधिकारियों को उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं के अवलोकन का प्रपत्र उपलब्ध करवाकर प्राप्त स्थिति की रिपोर्ट परिषद मुख्यालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिला एवं राज्य स्तर से की गई मॉनिटरिंग की रिपोर्ट परिषद मुख्यालय में प्रशिक्षण शाखा को प्रेषित की जाये।

24/08/2020

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीसीई/उपचारात्मक शिक्षण/2020–21/14097 दिनांक : 24/8/2020

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा समस्त संभाग।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
9. अति रिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
12. कार्यालय प्रति।

24/8/20

(एम.आर. बगड़िया)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक